श्री अशोक गहलोत जी,
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार, जयपुर।

ज्ञापन

माननीय महोदय,

अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान जिला शाखा .... द्वारा 25 सितम्बर 2011 को प्रातः 11.00 बजे ..... रैली का आयोजन किया। जिसमें जिले के कौने–कौने से अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। रैली के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग ने इस बात पर चिन्ता जाहिर कि की इन वर्गो के लिए आरक्षण व्यवस्था बाबा साहेब डॉ. बी.आर अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच हुए पूना पैक्ट के फलस्वरूप लागू हुई। लेकिन जब से यह व्यवस्था लागू हुई है तब से ही इसे उच्च वर्गो के लोगों द्वारा माननीय न्यायालय में चुनौती देकर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकार का यह दायित्व है कि वह पूना पैक्ट की पालना करने के लिए आरक्षण को बचाए रखने के लिए कार्य करे लेकिन यह देखा गया है। की सरकार अपने दायित्व का निवर्हन नही करती है, तथा बार–बार अनुसूचित जाति ,जनजाति वर्ग को आरक्षण को बचाने के लिए संघर्ष करना पडता है।

संविधान की रक्षा एवं आरक्षण बचाओ रैली के दौरान उपस्थित विशाल जन समूह में निम्नलिखित मांगों का ज्ञापन माननीय महोदय को देने का प्रस्ताव पारित किया है :–

1. अनु. जाति जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण बरकरार रखने व पदोन्नति की तिथि से वरिष्ठता का निर्धारण दिनांक 17.06.1995 से प्रभावी करते हुए तत्काल नियम बनाया जाये।
2. वर्तमान आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति का नौकरियों में आरक्षण बढ़ाकर क्रमश 17प्रतिशत व 13प्रतिशत किया जाये। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को पूर्व की भांति सामान्य वर्ग की वरिष्ठता में आने वाले कर्मियों को पदोन्नति का लाभ दिया जावे।